प्रेस विज्ञप्ति
26.09.2025

ईडी गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) के मामले में बड़े पैमाने पर निवेशक धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली एनसीआर में स्थित पांच परिसरों में 25.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड, ईओडी एम्यूजमेंट पार्क प्राइवेट एलडीसी, जियान विजेश्वर, रॉबिन विजेश्वर और इसके अन्य संबद्ध संगठनों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के निवेशकों को ठगने के लिए गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52-ए में खुदरा दुकानों/वर्चुअल स्पेस के आबंटन का वादा करके 1500 निवेशकों (लगभग) से 450 करोड़ से अधिक एकत्र किए थे। इसके अलावा, निवेशकों को मासिक सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान भी नहीं किया गया।

ईडी की जाँच से पता चला कि धनराशि उनकी होल्डिंग कंपनी में स्थानांतरित कर दी गई थी, जिसका निपटान ईओडी एम्यूज़मेंट पार्क प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक तृतीय-पक्ष शेयर खरीद समझौते के माध्यम से धोखाधड़ी से किया गया था, जिसके लिए कंपनी के प्रस्तावित खरीदार द्वारा कोई उचित प्रतिफल नहीं दिया गया था। इसके अलावा, आईआरएएल के विरुद्ध किए गए फोरेंसिक ऑडिट से भी गबन की पुष्टि हुई। आगे की जाँच से पता चला कि आईआरएएल कॉर्पोरेट दिवालियेपन प्रक्रिया के अधीन है जिसका समाधान शुरू होने के 7 साल बाद भी नहीं हुआ है।

इससे पहले इस मामले में दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे: एक 291.31 करोड़ रुपये की कुर्की, दिनांक 28.05.2024 को, जिसमें जयपुर में जमीनें, नोएडा में शॉपिंग मॉल शामिल हैं, और दूसरा 120.98 करोड़ रुपये की कुर्की, दिनांक 24.12.2024 को, जो अप्पू घर समूह के मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (वर्तमान में दिवालियापन के अधीन) से संबंधित है, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार। दोनों आदेशों की पुष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा की गई है।

हाल ही में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान, ईडी ने विभिन्न अघोषित बैंक खातों और कई डिजिटल उपकरणों सहित भारी मात्रा में अपराध–संकेती सबूत जब्त किए हैं।

आगे की जांच जारी है।